

अ.कि
राजनामा
अ.कि
राजनामा
अ.कि
राजनामा
विजोदेवी
मंवादेवी
निशादेवी


हुई। वादीयाणा तथा उत्तीवादी सं. 1 ता 3 व 5 की ओर से राजनामा पेश हुआ। वादीयाणा की पहचान भी राजेंद्र जाखड़ एड. ने की तथा उत्तीवादी सं. 1 ता 3 व 5 की पहचान भी सुभाष चंद्र एड. ने की। उत्तीवादी सं. 6 व 7 की ओर से उत्तीवादी सं. 1 माता सेट्टिका ने राजनामा स्वीकार किया। उपस्थित फरमानों को राजनामा पढ़कर सुनाया गया जिसे सुन व समझकर उपस्थित फरमानों डाटा लही होना स्वीकार किया गया। अतः हस्तक्षेपवाहीश परफारान राजनामा बाद तदीक शास्त्र पत्रावली किया गया।

वकुलाय उमयपदा ने मुलाखिज राजनामा दावा डिकी फरमाया जाने का निवेदन किया। वकुलाय उमयपदा के निवेदन पर भूमिधारी तहसीलदार खंडेला ने कोई आपत्ति जाहीर नहीं की।

पत्रावली पर उपलब्ध एजस्व रिपोर्ट पेशशुद्ध राजनामा का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से एवं लोक अदालत की शकना से वादीयाणा का बाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर त्वरित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

निर्णय

तन ग्राम नीमडा तहसील खंडेला जिला सीमा (पज.) में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 866

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>कच्चा 1.43 है. व ख. नं. 867 कच्चा 1.42 है. सम्पूर्ण खं. नं. 868 कच्चा 1.95 है. में से कच्चा 0.33 है. उत्तरी तरफ उत्कृत नजरी नक्शा में दशितानुसार अलग से मित बद्धा नम्बर डालकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शा इस प्रकार बनाया जाना बाकीभागों को खातेदार काट कर दर्ज किया जावे। तथा अतिवादीय से 1 ता 7 जो कृषि भूमि ख. नं. 868 कच्चा 1.95 है. में से कच्चा 1.62 है. दक्षिणी तरफ उत्कृत नजरी नक्शा में दशितानुसार अलग से मित बद्धा नम्बर डालकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शा इस प्रकार बनाया जाना अलग से खातेदार काटकर दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अप्रत दायम हो। तदनुसार उल्लेख में पचाई डिक्री जारी हो। पत्रावली प्रैतल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाक तन्मूल दाखिल दफ्तल हो। निष्पत्ति मजमें आम सुनाया गया।</p>	 <p>19/6/22 बागीरथ शाख (RAS) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेल</p>

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान
..... ① नापायणी वनाम ① संतोष

दावा बाबत तलासा व स्थायी निर्धारण

मुकदमा नम्बर :- 11/2018

निर्णय दिनांक :- 19/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी
..... श्री राजेंद्र जाखड

मिनजानिव मुददई रूबरू श्री राजेंद्र जाखड
..... मिनजानिव मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -
तन गाम तीमेडा तहसील खण्डेला जिला सीमा (पज.) में अवस्थित कृषि
भूमि ख. नं. 866 कच्चा 1.49 हे. व ख. नं. 867 कच्चा 1.42 हे. सम्पूर्ण ख
ख. नं. 868 कच्चा 1.95 हे. में से कच्चा 0.33 हे. उत्ती तर्फ प्रस्तुत नजी
बन्शरा में दशितानुसार अलग से पित बदा तन्हा उल्लेख अलग से पत्र
क्रि. व पत्र बन्शरा क्षेत्र बताया जाणकारीयमाण जो खतियार काश्त
कार दर्ज किया जावे। तब प्रतिवादीया सं. 1 ता 7 को कृषि भूमि ख. नं.
868 कच्चा 1.95 हे. - * .

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज दिनांक 19/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



श्री भागीरथ शाख
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक खण्डेला (सीकर)
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
वादी	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

※ पत्नी लिखाराम पुत्री सीताराम

② भागी पत्नी रामचक्र पुत्री सीताराम

जाति जाट निवासी नीमडा तहसील खण्डेला जिला सीकर

(राज.) हाल निवासी छडली तहसील सीकर जिला सीकर (राज.)

- वादीयागण

बनाम

※ बंवा गौपाल

① विनाद ② मैवा ④ किरण ⑤ निशा पुत्रीयां गौपाल

⑥ सोनू ⑦ शुभम पुत्रीयां गौपाल नबालिग जीये

प्राकृतिक संरक्षण माता संतोष पत्नी गौपाल

समस्त जाति जाट निवासी नीमडा तहसील खण्डेला

जिला सीकर (राज.)

⑧ भूमिधारी तहसीलखण्डेला जिला सीकर (राज.)

- प्रतिवादीयागण



※ में ले लबा 1.62 हे. दक्षिणी तरफ प्रखर नजी नक्शा में दक्षिणतनुसार अलग से मित बडा नम्बर डालकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शा हेतु बनाया जाकर अलग से उत्तरदार काश्तकार दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दामद हो।

19/6/18
जिला अधिकारी (RAS)
पदाधिकारी कलक्टर
(राज.) खण्डेला